# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर
## पीठासीन अधिकारी– रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
## राजस्व वादः– 214/2021

**वादीगण–**

1. केशाराम पुत्र रूघाराम
2. नारायणराम पुत्र रूघाराम
3. दुलाराम पुत्र रूघाराम
   जातियान जाट निवासीगण जायल तहसील जायल (नागौर)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण–**

1. आईदानराम पुत्र जंवाराराम
2. हेमाराम पुत्र जंवाराराम
   समस्त जातियान जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर
3. भंवरसिंह पुत्र गणपतसिंह
4. रामसिंह पुत्र गणपतसिंह
5. शेरसिंह पुत्र गणपतसिंह
6. हेमसिंह पुत्र गणपतसिंह
   समस्त जातियान राजपूत निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नगौर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**उपस्थितिः–**

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 से 6 कि विरूद्ध एकपक्षीण कार्यवाही
3. प्रतिवादी सं. 7 राजपैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर जायल

**दावा अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**– : : निर्णय : :–**

दिनांक : 25/01/2022

मुकदमानं. 214/2021

.....

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के कब्जा काश्त तथा प्रतिवादी



25/01/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

संख्या 3 से 6 के नाम खातेदारी की भूमि मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1552 रकबा 0.2752 हैक्टेयर वर्षों से रहता चला आया है लेकिन वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है जबकि प्रतिवादी संख्या 3 व 6 के कर्ताखानदान होने कि हैसियत से भंवरसिंह व शेरसिंह की सहमति से एक लिखापढ़ी दिनांक 16.03.1972 को स्टाम्प रूपये 2 पर करके अपने सहखातेदारी के खेताय ग्राम जायल के खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.2752 में से अपना व अपने भाईयों का हिस्सा में से रकबा 0.0890 हैक्टेयर का बैचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर कब्जा उसी दिन वादीगण को एवं वादीगण के स्वर्गीय भाई कुनाराम को सुपुर्द कर दिया, कुनाराम नाऔलाद फौत हो गये तथा उसी दिन से कब्जा काश्त वादीगण का चलता आ रहा है जबकि वादी संख्या 1 से 3 का नाम उक्त खेताय की खातेदारी में दर्ज ही नहीं है। लिखा पढ़ी बैचान की फोटो प्रति वाद के साथ संलग्न पेश है। बावजूद माफिक कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं हमल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बार–बार आवजे जगाने व बावजूद सूचना एवं पर्याप्त तामिल होने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 या प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुऐ इसलिए न्यायालय में गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर अप्राप्त है , जो कि वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु (तनकियात) की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत कि गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबू के तौर पर शपथ पत्र नारायण पुत्र रूघाराम एवं केशाराम पुत्र रूघाराम के पेश हुए तथा नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील जायल सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 2527 प्रदर्श– 1 पेश हुवे। दिनांक 16.03.1972 की अपंजिकृत लिखा पढ़ी पत्रावली के संलग्न है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर सा'क्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकि है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक वाद में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा माफिक वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति वरूक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया हे। अतः वादपत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत इस्तदुआ अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तसहीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

रिकोर्ड में अमल दारमद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार को केवल परफोर्मा पक्षकार बानया बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने आपेक्षित होते है, जो कि किये गये है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–2 हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार अंकित हे जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इस्तदुआ वादीगण ने माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किय है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा जायल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सह खातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1552 रकबा 0.2752 हैक्टेयर में से 0.0890 हैक्टेयर की सहखातेदारी तथा शेषं भूमि यथावत रखने की इस्तदुआ चाही गई है। मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 1552 की भूमि में हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा गयाह" जो कि पूर्ण रूप से विभाजन नहीं है अतः मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 1552 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजन नहीं होन तथा पक्षकारान के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवाड़ा चाहा जाने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 28.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारीत किये गये।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 28.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 246 दिनांक 12.01.2022 प्राप्त हुआ, जिसपर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को फोन किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण 1 व 2 ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की तथा वाद को माफिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल दिनांक 12.01.2022 अन्तिम डिक्री के अनुसार स्वीकार किये जाने में पक्षकारान् की सहमति है। अतः वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## – : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 246 दिनांक 12.01.2022 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

बनाम



1. वादी केशाराम पुत्र रूघाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.0138 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा एवं 0.0220 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी नारायणराम पुत्र रूघाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.0254 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. वादी दुलाराम पुत्र रूघाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.0138 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
4. वादीगण केशाराम, नारायणराम एवं दुलाराम पुत्रगण रूघाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.0140 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादीगण आईदानराम व हेमाराम पुत्रगण जंवाराराम जातियान जाट एवं प्रतिवादीगण भंवरसिंह, रामसिंह, शेरसिंह व हेमसिंह पुत्रगण गणपतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण जायल के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.1862 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.01.2022 आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/01/2022

**(रवीन्द्र कुमार)**
**सहायक कलेक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी**
**जायल**



Scanned with CamScanner

# प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस. **राजस्व वादः– 214/2021**

**वादीगण–**

1. केशाराम पुत्र रूघाराम
2. नारायणराम पुत्र रूघाराम
3. दुलाराम पुत्र रूघाराम
   जातियान जाट निवासीगण जायल तहसील जायल (नागौर)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण–**

1. आईदानराम पुत्र जंवाराराम
2. हेमाराम पुत्र जंवाराराम
   समस्त जातियान जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर
3. भंवरसिंह पुत्र गणपतसिंह
4. रामसिंह पुत्र गणपतसिंह
5. शेरसिंह पुत्र गणपतसिंह
6. हेमसिंह पुत्र गणपतसिंह
   समस्त जातियान राजपूत निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नगौर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**उपस्थितिः–**

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 से 6 कि विरूद्ध एकपक्षीण कार्यवाही
3. प्रतिवादी सं. 7 राजपैरोकार उपस्थित।

**दावा अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**– : : डिक्री आदेश : : –**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

25/01/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

व प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेष होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी केशाराम पुत्र रूघाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.0138 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा एवं 0.0220 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी नारायणराम पुत्र रूघाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.0254 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. वादी दुलाराम पुत्र रूघाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.0138 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
4. वादीगण केशाराम, नारायणराम एवं दुलाराम पुत्रगण रूघाराम के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.0140 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादीगण आईदानराम व हेमाराम पुत्रगण जंवाराराम जातियान जाट एवं प्रतिवादीगण भंवरसिंह, रामसिंह, शेरसिंह व हेमसिंह पुत्रगण गणपतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण जायल के हक बंट खातेदारी में मौजा जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 1552 में से 0.1862 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाड़ा माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.01.2022 आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/01/2022

**(रवीन्द्र कुमार)**
**सहायक कलेक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी**
**जायल**

**तीज – मुबलिग – बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/01/2022 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिष्नर | | | फीस कमिष्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिताया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

25/01/2022

**(रवीन्द्र कुमार)**
**सहायक कलेक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी**
**जायल**



Scanned with CamScanner